2115
17-18

संख्या –

कार्यालय नियत प्राधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट

<u>विनियमित क्षेत्र, एटा</u>

<u>आदेश</u>

श्री / ~~श्रीमती~~ गंगा विद्या प्रोपर्टी हब प्रा॰ लि॰ द्वारा श्री सुधीर कुमार वर्मा (डायरेक्टर) पुत्र श्री सोबरन सिंह व श्री शशीकान्त वर्मा (डायरेक्टर) पुत्र श्री गंगा प्रसाद वर्मा निवासी एवं निर्माण स्थल- अरुणा नगर एटा। तहसील व जिला एटा।

आपको भवन निर्माण मानचित्र के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि आपकी ही आराजी पर स्वयं की जिम्मेदारी पर भवन निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर दी जाती है।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि 5 वर्ष तक वैध है। तदोपरान्त नियमानुसार नवीनीकरण हेतु मानचित्र कार्यालय में पुनः प्रेषित करें।
2. स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण करें यदि किसी तरह का परिवर्तन करना हो तो संशोधित मानचित्र पुनः स्वीकृत हेतु प्रेषित करें।
3. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण की सूचना निर्धारित प्रपत्र "च" पर कार्यालय में दें।
4. स्वामित्व सिद्ध करने हेतु स्वीकृत मानचित्र का उपयोग किसी भी न्यायालय में वैध न समझा जावे।
5. कपट से प्राप्त अनुमति को कार्यालय किसी भी समय निरस्त कर सकता है।
6. निर्माण आरम्भ होते समय अथवा निर्माण समाप्त होने के पश्चात् किसी भी समय मानचित्र अवर अभियन्ता / कर्मचारी द्वारा मांगा जा सकता है, न दिखाने पर उचित कार्यवाही की जा सकती है।
7. आदेश पत्र में लिखित शर्तो एवं मानचित्र के अनुसार दिनांक 31-8-2019 से पाँच वर्ष तक नियमानुसार निर्माण करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।
8. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार अग्रभाग में छोड़े गये सेट बैंक में (स्वयं की भूमि पर) पांच वृक्ष लगाना अनिवार्य है।
9. सरकारी रोड पटरी तथा नाली पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।
10. अनिवार्य रूप से स्वयं के खर्चे पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी होगी।

उपरोक्त नियमों की पालन न करने पर आर0बी0ओ0 एक्ट के अनुसार उचित कार्यवाही की जा सकती है।

<u>संलग्न – स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।</u>

<u>मानचित्र स्वीकृति का दिनांक 31-8-2019</u>

31-8-19

नियत प्राधिकारी / उपजिला मजिस्ट्रेट

नियत प्राधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट

विनियमित क्षेत्र, एटा

M.M.O

A 96 # 468

Scanned with CamScanner

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी एटा।

पत्र संख्या–2018 / 50273 / eth / Etah/189/DD दिनॉक 23.08.2018

प्रारुप–घ

औपबन्धिक(provisonal) अनापत्ति प्रमाण –पत्र

यूआईडी संख्या– 2018 / 50273 / eth / Etah/189/CFO
दिनांक– 20.08.2018

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स गंगा विद्या प्रोपर्टी हव प्रा0 लि0 अरुणानगर जी0टी0रोड एटा पता श्री शशीकान्त पुत्र श्री गंगा प्रसाद वर्मा निवासी 61, अरुणानगर एटा परगना एटा सकीट तहसील व जनपद एटा जिसमें स्टिल्स , प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल (03) एवं बेसमेन्ट की संख्या निल है जिसकी ऊँचाई 11.72 मीटर तथा प्लाट एरिया 521.72 वर्गमीटर है। भवन का अधिभोग, स्वामी श्री शशीकान्त पुत्र श्री गंगा प्रसाद वर्मा निवासी 61, अरुणानगर एटा द्वारा किया जायेगा । इनके द्वारा अग्नि निवारण अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं ततसम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरुप किया गया है। इस भवन को प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) आवासीय समूह (ए–1)के अर्न्तगत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

संलग्नक–मानचित्र

23-08-18

(शिवदयाल शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
एटा।

(शिवदयाल शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
एटा

प्रतिलिपिः– अग्निशमन अधिकारी एटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।